

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या: पाँच-470(वरि0-शील्ड कवर)2025

दिनांक: २५, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथा संशोधित में किये गये प्रावधानों के अनुसार उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 यथा संशोधित में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विचारित किया गया। शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997, दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 (क), (ख), (ग) में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान होने के कारण चयन समिति द्वारा रिक्तियों सुरक्षित कर उनके प्रोन्नति चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय गया है :-

क्र० सं०	पीएनओ	नाम	नियुक्ति जनपद	मुहरबन्द लिफाफे का कारण चयन वर्ष 2025-26 के सापेक्ष
1	930460370	राजीव कुमार	कमिश्नरेट गाजियाबाद	मु0अ0सं07/17 धारा 306 भादवि थाना मगलपुर कमि० कानपुर देहात, में आरोप पत्र मा० न्यायालय में दोषमुक्त किये जाने के आदेश के विरुद्ध अपील मा० न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण

2- आदेश की प्रति उ०प्र० की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया समस्त सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउन लोड कर उपरोक्त सभी सम्बन्धित उपनिरीक्षकों को मुहरबन्द होने के कारणों से संसूचित कराने का कष्ट करें।


 (अखिलेश कुमार चौरसिया)
 पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद।
- 3- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।
- 5- समस्त कार्यालयाध्यक्ष उ०प्र०।
- 6- समस्त विभागाध्यक्ष उ०प्र०।
- 7- पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रश्नगत आदेश को उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।